राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

बजट समाचार

त्रैमासिक | अंक 47 | जनवरी - मार्च 2014 | सीमित प्रसार के लिए

संपादकीय

नई सरकार : वादे पूरे करने की चुनौती

राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2013 की घोषणा होने के बाद प्रदेश के सभी राजनैतिक दलों ने अपनी अपनी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र तैयार कर जनता के सामने रखे। लगभग हर पार्टी का घोषणा पत्र आमजन के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, नवीन कानून बनाने से लेकर प्रदेश के चहुंमुखी विकास के अनेक लोक लुभावने वादों से भरा हुआ रहा।

अगर हम एक माह पहले की राजनीतिक सरगर्मियों को याद करें तो ध्यान आयेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अन्य पार्टीयों के बाद लगभग आखिर में अपना 51 पृष्ठ का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था जिसके पीछे पार्टी की मंशा शायद जनता को एक प्रभावी घोषणा पत्र देने की रही होगी। खैर इतनी जद्दोजहद तथा विचार विमर्श के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी घोषणा पत्र पर प्रदेश की जनता ने विश्वास जताते हुये पार्टी को सरकार बनाने एवं अपने वादे पूरा करने का मौका दिया।

भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 'प्रदेश वासियों के लिये सन्देश' के अंतर्गत प्रदेश की जनता को स्थायी, संवेदनशील, जवाबदेह, ऊर्जावान, आधुनिक विचारों से ओत–प्रोत तथा प्रगतिशील होने के साथ–साथ राजस्थान की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पारम्परिक विरासत का पूर्ण सम्मान करने वाली शासन व्यवस्था देने का वादा किया है।

भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में आमजन के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, वंचित एवं अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान से लेकर प्रदेश विकास तक हर विषय का बखूबी ध्यान रखा है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिये फास्ट ट्रेक कोर्ट बनाने, 15 लाख नये रोजगार देने, अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु उनके जनसंख्या के अनुपात में बजट आवंटित करने, बजट में पारदर्शिता बढ़ाने एवं जेण्डर बजट को रणनीतिक रूप से प्रदेश में लागू करने जैसी कई अहम घोषणाएं की हैं जो वास्तव में सराहनीय हैं। लेकिन सरकार को विशेष ध्यान अब इन घोषणाओं की प्राथमिकता तय करने तथा उनका समय पर क्रियान्वयन करने पर देना होगा।

भारतीय जनता पार्टी ने हांलाकि अपने घोषणा पत्र में बहुत सराहनीय घोषणाएं की हैं लेकिन सरकार को किन्हीं विषयों पर घोषणाओं से आगे जाकर भी काम करना होगा। जैसे – अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना में जनसंख्या के अनुपात में बजट आवंटित करने की बात घोषणा पत्र में रखी गई है, लेकिन सबसे पहले इन उपयोजनाओं पर कानून बनाने एवं स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। इस संबंध में यह ध्यान रखना चाहिये कि पिछली सरकार ने इस संबंध में एक कमजोर विधेयक का मसौदा जारी किया था। आशा है कि नई सरकार इस विधेयक में सुधार करते हुए इसे कानूनी रूप देगी। इसके साथ ही कृषि एवं सम्बद्ध विषय पर बड़े बड़े वादे किये गये हैं लेकिन कृषि में संलग्न महिला कृषकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किन्हीं विशेष योजना/कार्यक्रमों का संचालन भी प्रारंभ किया जाना चाहिये। इसी प्रकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये कई घोषणाएं की गई हैं लेकिन इसके साथ ही दिल्ली–मुम्बई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं से विस्थापित होने वाले किसानों एवं ग्रामीण परिवारों के मुआवजे एवं पुनर्वास पर कोई ठोस रणनीति तैयार की जानी चाहिये। इतनी बड़ी परियोजना से विस्थापित एवं प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी होगी।

भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कुछ ऐसी घोषणाएं भी हैं जिनका राज्य एवं जनता के विकास से विशेष संबंध नहीं है। जैसे –'गौ संरक्षण एवं संवर्धन' के अंतर्गत मात्र एक पशु गाय के लिये पूरे मंत्रालय के गठन की बात कही गई है। इसी प्रकार कर्मकांड, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि की शिक्षा देने के लिए ''आदि शंकराचार्य बोर्ड'' के गठन करने तथा वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी बनाने के साथ विभिन्न कुल देवताओं के धर्मस्थलों के विकास पर विशेष जोर देने की बात भी कही गई है। इसके अलावा प्रदेश में क्रीड़ा शाला संगम योजना लागू करने तथा भाजपा सरकार द्वारा आपात्काल में रहे बंदियों को स्वतंत्रता संग्राम के सैनानियों के समकक्ष का दर्जा प्रदान करने का वादा भी किया गया है।

भारतीय जनता पार्टी एक तरफ प्रदेश में ऊर्जावान, आधुनिक विचारों से ओत–प्रोत तथा प्रगतिशील शासन व्यवस्था देने की बात कह रही है तो दूसरी तरफ घोषणा पत्र में ऐसी घोषणाएं की गईं हैं जिनसे समाज में आडम्बर, अंधविश्वास तथा समाज के प्रतिगामी सोच को बढ़ावा मिलने की संभावना अधिक है।

हम आशा करते हैं कि सरकार राज्य तथा समाज के विकास से संबंधित घोषणाओं को समय पर पूरा करते हुए प्रदेश की जनता को स्थायी, संवेदनशील, जवाबदेह, ऊर्जावान, आधुनिक विचारों से ओत–प्रोत तथा प्रगतिशील शासन व्यवस्था देने के अपने वादे को पूरा करेगी।

नई राज्य सरकार से अपेक्षाएँ एवं माँगें

बार्क ने पिछले वर्ष दिसम्बर माह में नई राज्य सरकार से अपेक्षाओं एवं माँगों के संदर्भ में दो दिवसीय बजट पूर्व कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में राज्यभर से लगभग 60 सामाजिक कार्यकताओं एवं संस्था प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला के दौरान राज्य सरकार से राज्य बजट 2014–15 तथा अगले 5 वर्षों के लिये मांगें तथा अपेक्षाएं रखने पर चर्चा की गई। कार्यशाला में राज्य का मूलभूत आवश्यकताओं पर बजट, वंचित वर्ग हेतु राशि आवंटन, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा ग्रामीण विकास के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यशाला से उभरी कुछ मुख्य माँगें इस प्रकार हैं:–

शिक्षा

- जी.डी.पी. की तुलना में शिक्षा हेतु खर्च/आवंटन का अनुपात कम से कम 6 प्रतिशत तक बढ़ाया जाये।
- शिक्षकों की उपस्थिति नियमित रूप से सुनिश्चित की जाये।
- शिक्षा व्यवस्था हेतु निगरानी के तरीकों को सख्त बनाया जाये तथा उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाये।
- शिक्षा का अधिकार कानून के तहत शौचालयों के नियमित रखरखाव एवं देखभाल का प्रावधान रखा जाना चाहिए।
- सरकार शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाने के कार्य में संलग्न रखे तथा उन्हे अन्य सरकारी कार्यों में संलग्न करने से मुक्त रखा जाये।
- शिक्षकों की संख्या में समुचित बढ़ोत्तरी की जानी चाहिये।

पोषण एवं स्वास्थ्य

- पंचायत स्तर पर कार्य करने वाले स्टाफ जैसे आशा, पर्यवेक्षक की स्थिति तथा उनके लिये निर्धारित भत्तों की राशि में बढ़ोत्तरी की जाये।
- पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर निगरानी (मॉनिटरिंग) की प्रक्रिया को मजबूत किया जाये।
- राज्य में डॉक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या को बढ़ाया जाये।
- चिकित्सा सेवा भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (आई.पी.एच.एस.) के मापदण्डों के अनुसार दी जानी चाहिये।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति

- राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी कानून लागू किया जाये।
- अनुसुचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं हेतु आवंटित बजट को खर्च करने के लिये स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान किये जाने चाहियें।
- अनुसूचित जाति आयोग को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाये तथा इसके अधिकारों में बढ़ोत्तरी की जाये।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं में आयोजना के तहत आदिवासी तथा दलित महिलाओं के लिये स्पष्ट प्रावधान रखें जायें।
- राज्य में घुमंतु समुदाय के लिये ज़मीनी पट्टा आवंटित किया जाये।

अल्पसंख्क

- अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएँ जैसे स्कूल, अस्पताल, आई.सी.डी.एस केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाये।
- अल्पसंख्यक मामलात विभाग के वार्षिक बजट में समुचित वृद्धि की जाये तथा राज्य सरकार अल्पसंख्यक कल्याण हेतु संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर विशेष ध्यान दे।
- अल्पसंख्यक आयोग को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाये तथा इसके अधिकारों में बढ़ोत्तरी की जाये।

सामाजिक सुरक्षा

- राज्य सरकार वृद्धावस्था पेंशन की राशि कम से कम दो हजार रू. देना सुनिश्चित करे तथा इसे भविष्य में महंगाई सूचकांक से जोड़ा जाये।
- तय सीमा से कम लम्बाई वाले व्यक्ति जो कि बोनेपन की श्रेणी में आते हैं उन व्यक्तियों को निःशक्त पेंशन योजना का लाभ दिया जाये।
- प्रदेश में वृद्धाश्रमों एवं डे–केयर सेन्टरों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।
- पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर संचालित समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिये स्थाई कर्मचारी की नियुक्ति की जाये।
- महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंर्तगत 'अपना खेत अपना काम' कार्यक्रम में बीपीएल., एस. टी., एस.सी. व सीमांत किसानों के साथ विधवा महिलाओं को प्राथमिकता देने का प्रावधान रखा जाये।

बच्चे

- प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर कम से कम एक बाल रोग विशेषज्ञ नियुक्त हो।
- बच्चों में हीनभावना एवं आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को सरकार गंभीरता से ले तथा उनके लिये स्कूलों में सलाहकार नियुक्त किये जायें।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जो बजट आवंटित किया जा रहा है वह बच्चों की संख्या के हिसाब से रखा जाये तथा प्रति बच्चे के लिये आवंटित राशि की दर बढ़ाई जाये।

महिलाऐं

- यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं के लिये उपचारात्मक केन्द्रों की पर्याप्त व्यवस्था की जाये।
- राज्य में महिला चौपालों का आयोजन किया जाये।
- ग्राम स्तर पर काम कर रहे सरकारी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाये।
- घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं की सुरक्षा हेतु सुरक्षा अधिकारियों की स्थायी नियुक्ति की जाये।
- ग्राम या पंचायत स्तर पर पैरा–लीगल नियुक्त किये जायें।
- राज्य में सभी पंचायत घरों में महिला शौचालयों का प्रबंध हो।
- वृद्ध एवं यौन शौषण के पीड़ितों के पुनर्वास के लिये आश्रम/पुनर्वास केन्द्र बनाये जायें।
- महिलाओं से संबंधित योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये अभियान चलाये जायें।
- जेण्डर संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए स्कूल/कॉलेजों में काउन्सलर नियुक्त किये जायें।
- राज्य में जेण्डर संवेदनशीलता के लिये बजट में स्पष्ट प्रावधान रखा जाये।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

- राज्य बजट से पंचायतों को आवंटित राशि की जानकारी पंचायती राज विभाग द्वारा वेबसाईट पर उपलब्ध करवानी चाहिए।
- ग्राम व ब्लॉक पंचायत को आवंटित राशि की जानकारी राज्य बजट में जिलेवार के साथ ग्रामवार या पंचायतवार भी दी जानी चाहिए।
- विशिष्ट मद में आवंटित राशि की जानकारी जिलेवार के साथ पंचायतवार भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
- पंचायतों को आवंटित राशि की जानकारी में 5 हस्तांतरित विषयों की राशि का विवरण अलग से दिया जाना चाहिए।
- राज्य बजट से ग्रामीण विकास के बजट के अंतर्गत भूमि सुधार हेतु समुचित आवंटन किया जाना चाहिये।
- ग्रामीण विकास विभाग के वार्षिक प्रगति विवरण में पिछले 2 वर्षों की बजट घोषणाओं की प्रगति का ब्यौरा सम्मिलित किया जाना चाहिये।

राज्य में अलपसंख्यक मामलात विभाग का बजट एवं अल्पसंख्यकों के लिये कार्यक्रम

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की जनसंख्या 5.65 करोड़ है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या 10.07 प्रतिशत अर्थात 56.89 लाख है। इसमें मुसलमान 47.88 लाख, सिक्ख 8.18 लाख, ईसाई 0.73 लाख एवं बौद्ध 0.10 लाख हैं। राज्य सरकार ने अपने बजट भाषण वर्ष 2009–10 में अल्पसंख्यकों (मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध व पारसी) के कल्याण एवं विकास को ध्यान रखते हुये केन्द्र सरकार की तर्ज पर अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया। अल्पसंख्यकों से संबन्धित विभिन्न संस्थाएं जैसे राज्य हज कमेटी, वक्फ विभाग, मदरसा बोर्ड, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक वित एवं विकास निगम तथा राजस्थान वक्फ विभाग परिषद भी अल्पसंख्यक मामलात विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं।

राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के विकास हेतु बहुत सी योजनाओं के संचालन के अलावा प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम एवं बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इसके साथ ही जरूरतमंद अल्पसख्यकों को कारोबार ऋण, शिक्षा ऋण आदि आसान दरों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा तालीम के जरिये भी अल्पसख्यकों को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं। वर्ष 2013–14 में अल्पसंख्यक मामलात विभाग को कुल 77.43 करोड़ रूपये आवंटित हुए जो राज्य के कुल बजट का केवल 0.081 प्रतिशत है।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग का बजटः

अल्पसंख्यक मामलात विभाग को वर्ष 2013–14 में जारी राशि

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष		आयोजना भिन्न	आयोजना	के.प्र.यो.	कुल
1	2225	अनुसुचित जातियों , अनुसुचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर राजस्व व्यय				
	04	अल्पसंख्यकों का कल्याण				
	001	निदेशन एवं प्रशासन	4.87	10	–	14.87
	102	आर्थिक विकास	–	28.50	–	28.50
	190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	1.46	0.53	–	1.99
	277	शिक्षा	–	6.14	20.62	26.76
	800	अन्य व्यय	0.7	1.85	–	2.55
		उप मुख्य शीर्ष 04 का योग	7.03	47.02	20.62	74.68
2	4225	अनुसुचित जातियों , अनुसुचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पुंजीगत परिव्यय				
	04	अल्पसंख्यकों का कल्याण				
	190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में विनियोग	–	0.0002	–	0.0002
	800	अन्य व्यय	–	2.75	–	2.75
		उप मुख्य शीर्ष 04 का योग	–	2.75	–	2.75

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

अल्पसंख्यक मामलात विभाग को जारी राशि राज्य बजट के दो मुख्य शीर्ष 2225 तथा 4225 के अंतर्गत उपमुख्य शीर्ष 04 (अल्पसंख्यकों का कल्याण) से आवंटित की गई है। **वर्ष 2013–14 में अल्पसंख्यक मामलात विभाग को हस्तांतरित की गई कुल राशि में से 96.44** प्रतिशत राशि राजस्व व्यय एवं 3.55 प्रतिशत **पूंजीगत व्यय के लिये है। कुल राशि में से** 9.07 प्रतिशत **राशि** आयोजना भिन्न मद में, 64.27 प्रतिशत **राशि** आयोजना मद में एवं 26.63 प्रतिशत **राशि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए** आवंटित की गई है। राजस्व व्यय का सबसे बड़ा भाग **अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के लिये** आवंटित किया गया है, जो सराहनीय है।

लेकिन अल्पसंख्यक मामलात विभाग को वर्तमान में आवंटित की गयी राशि 100 करोड़ से भी कम तथा राज्य सरकार के कुल बजट का 0.1 प्रतिशत से भी कम है। विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बेहतर संचालन के लिये एवं इनका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना सुनिशचित करने के लिये विभाग के वार्षिक बजट में समुचित वृद्धि होनी चाहिये तथा इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों का समुचित प्रचार एवं प्रसार होना चाहिये।

अल्पसंख्यक वर्गों के विकास हेतु विशेष कार्यक्रम :

प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत 15 पूर्व संचालित कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग का विभिन्न विभागों की योजनाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना है। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु इस कार्यक्रम में मुख्यतः पोषण, शिक्षा, छात्रवृत्ति, स्वरोजगार एवं आर्थिक विकास की योजनाएं शामिल की गयी हैं। इसके अलावा इसमें अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों, शहरों एवं ब्लॉकों की भी पहचान की गयी है।

राज्य के अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा प्रकाशित 'नई रोशनी' के अनुसार राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण के लिये संचालित कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं:–

- **प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति** :– वर्ष 2012–13 में 26.66 करोड़ रूपये की छात्रवृत्ति 120218 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिये स्वीकृत की गई।
- **पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति** :– वर्ष 2012–13 में 14682 (नवीन) तथा 6095 (नवीनीकरण) अल्पसंख्यक विधार्थियों को 14.33 करोड़ रूपये की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई।
- **मेरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति** :– वर्ष 2012–13 में 1794 (नवीनीकरण) कुल 1903 छात्र/छात्राओं को 4.91 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई।
- **स्वयं के रोजगार स्थापित करने के लिए रियायती दरों पर ऋणः**– समय पर **ऋण** चुकाने की शर्त पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छुट देने का प्रावधान है। अल्पसंख्यक महिला उद्यमियों द्वारा समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज की पूरी राशि में छूट देने का प्रावधान है। वर्ष 2012–13 में अल्पसंख्यक वर्ग को कारोबारी ऋण वितरण किये जाने हेतु 15.75 करोड़ रूपये के लक्ष्य निर्धारित किये गये जिसके तहत 1658 व्यक्तियों को 9.25 करोड़ रूपये का करोबारी ऋण वितरित किया गया।
- **शिक्षा ऋणः**– 2012–13 में अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा ऋण वितरण किये जाने हेतु 4.71 करोड़ रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जिसके तहत 316 अल्पसंख्यक युवाओं को 1.41 करोड़ रूपये का शिक्षा ऋण वितरण किया गया।
- **बालिका छात्रावासः**– अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सभी संभागों (जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, एवं जोधपुर) में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास का सचांलन किया जा रहा है।
- **अनुप्रति योजना**– अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं के लिए अनुप्रति योजना अप्रैल 2011 से प्रारम्भ कर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 1 लाख रूपये व राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 50 हजार रूपये तथा तकनीकी शिक्षा के लिये उच्च संस्थानों तथा आई.आई.टी., कैट, एआईईईई एवं आई. आई.एम. में सफल अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
- **राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड** :– राजस्थान मूल के अल्पसंख्यक युवाओं को राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एवं युवाओं को स्वालम्बन की ओर अग्रसर करने हेतु कम्प्यूटर दक्षता प्रशिक्षण तथा अंग्रेजी दक्षता प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। कम्प्यूटर दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम में 33 जिलों में माह फरवरी 2012 बैच के 1151 युवाओं तथा 925 अल्पसंख्यक बालिकाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिये हैं। माह नवम्बर 2012 के बैच में 1408 अल्पसंख्यक युवाओं तथा 810 अल्पसंख्यक बालिकाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है।
- **निर्माण उधोग विकास परिषद** द्वारा 14 विधाओं जैसे मिस्त्री, लैब टैक्निशियन, वायरमैन आदि के लिए 2012–13 में 810 अल्पसंख्यक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

बार्क द्वारा आयोजित गतिविधियाँ

जेण्डर संवेदी बजट एवं महिला मुद्दों पर कार्यशाला

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर एवं एकल नारी शक्ति संगठन, कोटा द्वारा दिनांक 08 जनवरी 2014 को प्रेस क्लब, कोटा में जेण्डर संवेदी बजट एवं महिला मुद्दों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में जेण्डर के अर्थ, महत्व एवं संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गयी। सभी सहभागियों ने चर्चा के दौरान इस बात पर सहमति जताई कि जेण्डर सिर्फ एक सामाजिक विचार है तथा इस विचार में बदलाव लाये बिना समाज को जेण्डर संवेदनशील नहीं बनाया जा सकता।

कार्यशाला में जेण्डर बजट की अवधारणा तथा भारत सरकार द्वारा इस दिशा में किये गये प्रयासों पर चर्चा की गयी। राजस्थान सरकार द्वारा जेण्डर बजट को लागू करने हेतु किये गये प्रयासों पर प्रस्तुति के दौरान बताया गया कि राज्य सरकार ने बालिका नीति 2013 प्रदेश में लागू की है जिसका सफल क्रियान्वयन जेण्डर बजट को लागू करने का अहम कदम साबित हो सकता है। कार्यशाला के दौरान महिला मुद्दों पर सामूहिक गतिविधि के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी निकायों के स्तर पर जेण्डर संवेदी मुद्दों को वार्षिक आयोजना में एक रणनीति बनाकर शामिल करने पर चर्चा की गई। ग्राम एवं पंचायत स्तर पर आयोजित बैठकों में महिलाओं की भागीदारी बढाने के विषय पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

दलित एवं आदिवासी बजट पर प्रशिक्षण कार्यशाला

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर एवं आस्था संस्थान तथा प्रयत्न समिति, उदयपुर के द्वारा दिनांक 13 जनवरी 2014 को आस्था प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना बजट विषय पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में राज्य बजट से संबंधित तकनीकी शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करते हुये राज्य बजट के स्परूप एवं बजट प्रवाह की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया तथा राज्य बजट में उपयोजना हेतु आवंटित राशि को किन बजट एवं मांग शीर्षों के अंतर्गत तथा किस प्रकार देखा एवं समझा जा सकता है इस पर कार्यशाला प्रतिभागियों से विस्तार से बातचीत की गई। बार्क द्वारा राज्य बजट से पिछले 5 वर्षों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना हेतु आवंटित बजट एवं खर्च का तुलनात्मक विवरण भी प्रस्तुत किया गया।

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र द्वारा राज्य के 6 जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन को जिला एवं निम्न स्तर पर समझने के लिये किये गये सर्वे के प्रारंभिक निष्कर्षों को कार्यशाला प्रतिभागियों से साझा किया गया। कार्यशाला में उपरोक्त दोनों उपयोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं पर सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने अनुभव रखे।

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र द्वारा दोनों उपयोजनाओं के अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर प्रभावी निगरानी रखने से संबंधित मुद्दे पर विशेष जोर दिया गया तथा इसके लिये एक मजबूत निगरानी तंत्र विकसिक करने पर एक राय कायम की गई तथा उपयोजनाओं के अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की सतत एवं प्रभावी निगरानी करने हेतु आगामी रणनीति तैयार की गई।

वर्ष 2013 में बार्क के नये प्रकाशन

- राजस्थान में जेण्डर संवेदी बजट : एक अध्ययन
- पंचायत बजट मैन्युअल
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाः एक अध्ययन

अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना पर केन्द्रीय कानून बनाने की मांग

देश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के बेहतर क्रियांवयन हेतु कानून के लिये केन्द्र सरकार द्वारा एक मसौदा विधेयक तैयार किया गया। यह विधेयक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना विधेयक 2013 नाम से तैयार किया गया है। लेकिन इस विधेयक का केन्द्र सरकार के कई मंत्रियों एवं सदस्यों द्वारा विरोध किया जा रहा है। परिणामस्वरुप प्रस्तावित विधेयक केबिनेट एवं संसद में पेश नहीं किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने प्रधामंत्री कार्यालय से इस विधेयक को मंत्रिमंडल एवं संसद में पेश करने पर पुनर्विचार का आग्रह किया है।

प्रस्तावित विधेयक पर राष्ट्रीय स्तर पर बने संगठन "अनुसूचित जाति एवं जनजाति विधेयक हेतु राष्ट्रीय अभियान ने इस मामले पर सरकार की कड़ी आलोचना की है तथा प्रधानमंत्री कार्यालय को दोषी ठहराया है। गौरतलब है कि देश में दलितों एवं आदिवासियों के विकास हेतु वर्ष 1974–75 में जनजाति उपयोजना एवं वर्ष 1979 में अनुसूचित जाति उपयोजना अपनाई गई। लेकिन आज भी दोनो उपयोजनाएं नियमानुसार क्रियांवित नहीं की जा रही हैं, जिससे ये वर्ग हर वर्ष करोड़ों की विकास योजनाओं अर्थात अपने आर्थिक अधिकारों से वंचित हो रहे हैं।

अतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना कानून पर बने इस राष्ट्रीय संगठन ने सरकार से मांग की है कि प्रस्तावित विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश कर पास किया जावे।

दलितों एवं आदिवासियों हेतु भाजपा सरकार के वादे

उपयोजनाओं की स्थिति, प्रस्तावित कानून एवं नई सरकार से अपेक्षाएं

देश में दलित एवं आदिवासी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से काफी पिछड़े हुये हैं एवं यह स्थिति देश के करीब सभी राज्यों में देखी जा सकती है। राजस्थान की कुल आबादी में करीब 30 प्रतिशत दलित एवं आदिवासी आबादी हैं। राज्य में भी दलित एवं आदिवासियों की स्थिति अन्य वर्गों एवं सामान्य आबादी की तुलना में काफी निम्न बनी हुई है। आजादी के बाद से ही इन वर्गों के विकास हेतु सरकारें योजनाओं, नीतियों एवं घोषणाओं के रुप में विभिन्न प्रयास करती रही है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में दलितों एवं आदिवासियों हेतु क्रमशः अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाएं लागू की गईं, लेकिन आज भी इन उपयोजनाओं का क्रियान्वयन व्यवस्थित तरीके से नहीं हो रहा है। राज्य की पिछली सरकार ने उपयोजनाओं के व्यवस्थित क्रियान्वयन के संबंध में कानून हेतु मसौदा भी तैयार किया है। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी दलितों एवं आदिवासियों की स्थिति शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं संसाधनों पर अधिकार आदि करीब सभी क्षेत्रों में पिछड़ी हुई देखी जा सकती है। हाल ही में सत्ता में आई भाजपा सरकार ने इन वर्गों के विकास हेतु अपने घोषणा पत्र में अनेक वादे किये हैं। प्रस्तुत आलेख में इन वर्गों के विकास हेतु सरकार संभालने वाली भाजपा के घोषणा पत्र में उल्लेखित वादों, राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं की स्थिति एवं इन उपयोजनाओं हेतु प्रस्तावित अधिनियम एवं संबंधित मुद्दों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

भाजपा के घोषणा पत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण हेतु किये गये वादे :

भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) ने विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान अपने घोषणा पत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के कल्याण हेतु बहुत से वादे किये हैं। जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं में मानदंड (इनकी आबादी के अनुपात में) के अनुसार बजट आवंटन सुनिश्चित करना भी शामिल है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के विकास हेतु की गयी घोषणाओं का विवरण नीचे दिया गया है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों का कल्याण :

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं में जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर बजट आवंटित कर उनके खातों (सब–हेड) में स्थानान्तरण सुनिश्चित कराना।
- सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग की रिक्तियों के बैकलॉग का निर्धारण कर समयबद्ध तरीके से पदों को भरा जाएगा।
- अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृति की राशि बढ़ाई जाएगी तथा विद्यार्थियों के अभिभावको की वार्षिक आय की सीमा भी बढ़ाई जाएगी।
- अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग को शिक्षा हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- अनुसूचित जाति व जनजाति के बी.पी.एल. परिवारों की बालिकाओं के विवाह हेतु सहायता राशि उपलब्ध करवायी जाएगी।
- अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग की आबादी भूमि पर स्टेट ग्रांट के अन्तर्गत मिलने वाले पट्टे की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा।
- अनुसूचित जाति व जनजाति की बस्तियों में डॉ. अम्बेड़कर सामुदायिक केंद्र बनाये जाएंगे।
- प्रत्येक जिला मुख्यालय पर अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अम्बेड़कर छात्रावास बनाए जाएंगे। वर्तमान मे संचालित अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रावासों की आधारभूत सुविधाओं का विकास करके छात्रावासों को सुविधाजनक बनाया जाएगा।
- अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के उद्यमियों को स्वरोजगार हेतु ऋण तथा लघु उद्योग स्थापित करने के लिए रियायती दर पर भूमि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी।
- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के उद्यमियों हेतु कौशल विकास के कार्यक्रमों को सभी जिला मुख्यालयों पर संपादित किया जाएगा।

अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र :

- आदिवासी बोलियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शोध केन्द्र की स्थापना पर विचार किया जाएगा।
- आदिवासी इलाकों में उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन दिया जायेगा जिसमें एग्रो प्रोसेसिंग, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- अनुसूचित क्षेत्र के लिए पृथक से सेवा कैडर का गठन किया जाएगा जिससे कि इस क्षेत्र में सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को इसी क्षेत्र के सभी वर्गो द्वारा भरा जा सकेगा।
- अनुसूचित क्षेत्र में सुदृढ प्रशासनिक ढांचे हेतु वर्तमान ब्लॉक/उपखण्ड का पुनर्गठन कर छोटे ब्लॉक/उपखण्ड का गठन किया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों में प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था कायम हो सके।
- अनुसूचित क्षेत्र के लघु एवं सीमांत काश्तकारों के लिये ऋण माफी की योजना बनाई जाएगी।
- इस क्षेत्र के लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर भाजपा शासन द्वारा पूर्व में घोषित किए गए ग्रामीण युवा केंद्रों का गठन कर इन्हे पुनर्जीवित किया जाएगा।
- अनुसूचित क्षेत्र में तीरंदाजी तथा हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अकादमी की स्थापना की जाएगी।
- राजस्थान वन (संशोधन) बिल, 2012 में इस क्षेत्र के काश्तकारों/ग्रामीणों के हितों के विपरीत लाए गए प्रावधानों को पुनः संशोधित किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों में वार्डन एवं अन्य आवश्यक पदों को शीघ्र भरा जाएगा जिससे इन छात्रावासों का संचालन सही ढ़ंग से हो सके।
- जनजाति क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए नई नीति बनाई जाएगी, जिससे उस क्षेत्र में निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन मिल सके।
- 10 वर्षों से जनजाति क्षेत्र के जंगल की जमीन पर बसे आदिवासियों के कब्जों के प्रकरणों का विधिक परीक्षण कर नियमन की दिशा में त्वरित गति से सार्थक प्रयास किए जाएंगे।

उपरोक्त वादों में गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना कानून के संबंध में कोई चर्चा नहीं की है। गौरतलब है कि इन उपयोजनाओं के बेहतर क्रियांवयन हेतु राज्य की पूर्व सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना कानून हेतु मसौदा तैयार किया गया था।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना : भारत में आदिवासियों एवं दलितों के समग्र विकास हेतु 5वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 1974–75 में जनजाति उपयोजना एवं वर्ष 1979 में अनुसूचित जाति उपयोजना की रणनीति अपनाई गई। जिसके अनुसार केन्द्र सरकार एवं प्रत्येक राज्य सरकार को अपने आयोजना बजट का आदिवासी एवं दलित आबादी के अनुपात में क्रमशः जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत आवंटित कर इन वर्गों के विकास हेतु व्यय करना चाहिये। चूंकि राज्य की कुल आबादी में दलित एवं आदिवासियों का प्रतिशत, 2001 जनगणना के अनुसार क्रमशः 17.1 एवं 12.5 प्रतिशत है। हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी में दलित एवं आदिवासियों का प्रतिशत बढकर क्रमशः 17.8 एवं 13.5 प्रतिशत हो गया है। अतः राज्य सरकार को अपने आयोजना बजट का कम से कम इनकी आबादी के अनुपात में आवंटन करना चाहिये।

विगत 6–7 वर्षों के बजट आंकड़ों पर नजर डालें तो स्पष्ट होता है कि वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक राज्य में आयोजना बजट की करीब 2.3 से 3.5 प्रतिशत राशि ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं में व्यय की गई थी। लेकिन इसके बाद वर्ष–2010–11 से दोनों ही उपयोजनाओं के अंतर्गत बजट आवंटन लगातार बढ़ रहा है। हालांकि वास्तविक व्यय आवंटित बजट से कम हो रहा है। वर्ष 2013–14 के प्रस्तावित बजट में भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं का बजट आवंटन बढ़कर क्रमशः 9.8 एवं 8.8 प्रतिशत हो गया। अतः राज्य में विगत 2–3 वर्षों से अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना बजट का अनुपात बढ रहा है। लेकिन यह आवंटन अभी भी मानदंड से बहुत कम है।

अतः उपयोजनाओं के लागू होने के 30 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी दोनों उपयोजनाओं में मानदंड से बहुत ही कम राशि आवंटित एवं व्यय की जा रही है तथा यह स्थिति केन्द्र एवं देश के करीब सभी राज्यों में देखी जा सकती है। अतः देश में विगत 2–3 वर्षों से इन उपयोजनाओं के लिये कानून बनाने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में गत वर्ष आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के लिये कानून बनाया है। राजस्थान सरकार ने भी बजट 2013–14 में ऐसा कानून बनाने की घोषणा की थी। परिणामस्वरुप राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना विधेयक, 2013 का प्रारूप तैयार किया है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति उपयोजना के संबंध में कानून :

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बजट भाषण 2013–14 में की गई घोषणा के अनुसार राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना विधेयक, 2013 का प्रारूप तैयार किया है, जिसका नाम अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना (वित्तीय संसाधनों की प्लानिंग, आवंटन एवं उपयोगिता) विधेयक 2013 रखा गया है। जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति उपयोजना को कानूनी अधिकार प्रदान करेगा। प्रस्तावित विधेयक योजना विभाग की वेबसाईट पर है तथा जनता से विधेयक पर सलाह एवं विचार मांगे गये हैं।

विधेयक के मुख्य बिन्दु एवं मुद्दे :

- विधेयक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में राज्य की कुल योजना परिव्यय के एक हिस्से को निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में यह भी कहा गया है कि इन दोनो उपयोजनाओं पर खर्च का लेखा इस कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, परन्तु इस प्रारूप में कहीं भी इस प्रक्रिया की चर्चा नहीं की गई है।
- धारा 6 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों को सामान्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के अंतर्गत दिये जाने वाले लाभ सामान्य योजनाओं से मिल रहे लाभ के अतिरिक्त होंगे।
- विधेयक में यह प्रावधान है कि योजना विभाग द्वारा सभी विभागों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना के सम्भावित योजना आकार की सूचना दी जायेगी। परन्तु इसकी कोई समयावधि निश्चित नहीं की गई है।
- विधेयक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना परिषद स्थापित किये जाने का प्रावधान है, जो राज्य सरकार को अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित नीति बनाने में परामर्श प्रदान करेगा।
- विधेयक में नोडल विभाग (अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए आदिवासी क्षेत्र विकास विभाग तथा अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) द्वारा योजना विभाग को सभी विभागों के अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना के निरीक्षण व मूल्यांकन में परामर्श/सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
- विधेयक में पारदर्शिता व जवाबदेही का प्रावधान है जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया है कि नोडल विभाग राज्य विधानसभा के सम्मुख अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन की स्थिति की रिपोर्ट रखेंगे।
- प्रस्तावित विधेयक में यह भी प्रावधान है कि उपयोजना की राशि का एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में समायोजन किया जा सकता है। साथ ही, यदि किसी विभाग में प्रगति धीमी हो तो, वित्त विभाग उपयोजनाओं की राशि एक विभाग से दूसरे विभाग में हस्तानान्तरित करने पर विचार कर सकता है।

विधेयक के संबंध में प्रमुख मांगें एवं सुझाव :

- इस विधेयक में स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति उपयोजना को एक आयोजना प्रक्रिया बनाने पर जोर देना चाहिए ताकि यह एक लेखा प्रक्रिया भर बनकर ना रह जाये।
- यह भी स्पष्ट किया जाये कि जो लाभ सामान्य बजट में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय को दिए जा रहे हैं, उन्हें अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना में नहीं जोड़ा जाए।
- विधेयक में जिला स्तरीय समिति का कोई प्रावधान नहीं है अतः अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन के जिला, ब्लॉक तथा पंचायत स्तर के लिये दिशा निर्देश शामिल हों।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों की महिलाओं के अधिकार एवं सशक्तीकरण के लिये विधेयक में प्रावधान किये जायें।
- अनसूचित क्षेत्रों में पेसा कानून ग्रामसभा को आयोजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना सहित) का अधिकार देता है। उपयोजनाओं से संबंधित कानून में पेसा के इस प्रावधान को शामिल किया जाना आवश्यक है।
- विधेयक में जनजाति कल्याण निधि, जिसके अंतर्गत 13 विभागों के जनजाति उपयोजना से दो तिहाई राशि राज्य सरकार द्वारा जनजाति विभाग को हस्तान्तरित की जाती है, के संबंध में नियम शामिल किया जाये।
- इसके अलावा उपयोजनाओं के क्रियांवयन की क्षेत्र आधारित रणनीति में दलित एवं आदिवासी बस्तियों की परिभाषा स्पष्ट नहीं है अतः इसमें 100 प्रतिशत दलित एवं आदिवासी आबादी वाली बस्तियों को ही शामिल किया जाये।
- उपयोजनाओं के व्यवस्थित क्रियांवयन हेतु पारदर्शिता एवं जबावदेही की मजबूत व्यवस्था हो। इस हेतु हर विभाग प्रत्येक स्तर पर मासिक व्यय एवं प्रगति की समीक्षा बैठक करे। साथ ही लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) में भी उपयोजनाओं की समीक्षा की व्यवस्था हो।

अतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के बेहतर क्रियांवयन हेतु उपरोक्त सुझावों को शामिल करते हुये एक मजबूत कानून बनाया जाये, ताकि राज्य में दलितों एवं आदिवासियों का त्वरित विकास संभव हो सके। अतः हम आशा करते हैं कि हाल ही में सत्ता में आई भाजपा सरकार राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के विकास हेतु उपयोजना कानून को उपरोक्त मांगों एवं सुझावों के साथ शीघ्र ही अमल में लायेगी तथा अपने घोषणा पत्र में किये गये वादों को आगामी बजट में प्रतिबिम्बित करेगी।

भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में किये गये मुख्य वादे

राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2013 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत लेकर प्रदेश में सरकार बनाई है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पूर्व अपने चुनावी घोषणा पत्र में आमजन से कई वादे किये थे इसलिये अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वह आमजन से किये गये अपने वादों को पूरा करे। इस लेख से हमारा प्रयास सरकार को चुनाव पूर्व किये गये अपने वादों की याद दिलाना तथा आमजन तक उन वादों की जानकारी पहुंचाना है। इस लेख में हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित कुछ मुख्य वादों की जानकारी को आम जनता तक पहुंचाने का प्रारंभिक प्रयास किया है।

कृषि–किसान

- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए एक स्थाई तंत्र विकसित किया जाएगा।
- भूमि अवाप्त होने पर संशोधित भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार मुआवजा व सुविधाएं दी जाएंगी।
- खेतों में कृषि कार्य करते हुए एवं पशु चराते समय दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर 5 लाख व गंभीर घायल होने पर 1 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- 'राजस्थान मुख्यमंत्री काश्तकार सहभागिता योजना' के तहत किसानों के लिये आवश्यकतानुसार योजनाओं की क्रियान्विति की जाएगी।
- कृषि विभाग के अन्तर्गत ''पुष्प कृषि विभाग'' का गठन किया जाएगा।

पशुपालन एवं डेयरी विकास

- राज्य में गौचर भूमि विकास बोर्ड एवं प्रत्येक जिले में चारा बैंक की स्थापना की जाएगी।
- पशुपालकों को आसान शर्तो पर अनुदान हेतु पशुपालक क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया जाएगा।
- भेड़–बकरी, ऊंट को ''राज्य आपदा प्रबंध योजना'' में शामिल किया जाएगा।

युवा, रोजगार एवं खेलकूद

- भर्ती प्रक्रिया को त्वरित एवं पारदर्शी बनाने हेतु अधीनस्थ सेवा बोर्ड का पुनर्गठन किया जायेगा।
- अक्षत योजना द्वारा युवाओं को एक हजार/पांच सौ रू. प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।
- सभी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
- आगामी 5 वर्षो में 15 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के नये अवसर सृजित किये जायेंगे।

महिला एवं बाल विकास

- प्रत्येक जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाएगी।
- प्रत्येक पुलिस थाने में एक महिला पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
- विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को सरकारी भर्तीयों में आरक्षण के अनुसार नियुक्तियां दी जाएंगी।
- Gender Budgeting के साथ–साथ विभागवार महिलाओं के संबंध में दी जाने वाली छूट अथवा महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने जैसे ठोस कदम उठाए जाएंगे।
- राज्य में मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना प्रारम्भ की जाएगी।
- दहेज प्रतिरोध सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा।

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास

- ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों के पुर्नगठन हेतु एक आयोग बनाया जाएगा।
- राज्य में ए.पी.एल. परिवारों को पूर्ववत सस्ता आटा देने की योजना पुनः चलाई जाएगी।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति स्तर पर निर्मित भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्रों को Internet सुविधा से जोड़ते हुए इन्हें और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।
- पंचायती राज के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा।

ऊर्जा

- सिंचाई के लिए 8 घंटे तक थ्री फेज बिजली प्रतिदिन दी जाएगी।
- प्रदेश के ग्रामों के अलावा कम आबादी वाली ढाणीयों को त्वरित गति से विद्युतिकृत किया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में Roof top सौर ऊर्जा उत्पादन एवं आपूर्ति की योजना क्रियान्वित की जाएगी।
- बिजली समस्याओं के निराकरण के लिए बिजली पंचायतों का प्रावधान किया जाएगा।

पेयजल एवं सिंचाई

- महानगर में डार्कजोन आवासीय बस्तियों में प्राथमिकता से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
- पी.एच.ई.डी. विभाग का नाम जल स्त्रोत संरक्षण, पुनर्भरण तथा पेयजल आपूर्ति विभाग रखा जायेगा।
- पेयजल हेतु मुख्यमंत्री राजस्थान जल संरक्षण सहभागिता विकास योजना लागू की जाएगी।

सड़क व परिवहन

- प्रदेश में सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी।
- प्रदेश में रोड सेफ्टी मोबाईल वैन उपलब्ध करवाई जाएगी।
- 250 से अधिक तथा 100 से 250 की आबादी वाले गाँव पक्की सड़कों से जोड़े जाऐंगे।

शिक्षा

- राज्य में शिक्षक–प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं व बारहवीं कक्षाओं में 80 प्रतिशत से अधिक अंकों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों हेतु राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था राज्य सरकार करेगी।
- प्रदेश में प्रत्येक उपखंड स्तर पर छात्र/छात्राओं के लिए सरकारी महाविद्यालय खाले जायेंगे।
- अनुशासन एवं मूल्य आधारित शिक्षा हेतु ''मुख्यमंत्री राजस्थान नव–निर्माण योजना'' प्रारंभ की जायेगी।
- राजकीय विद्यालयों के कक्षा 9 से 11 तक के विधार्थियों को राष्ट्रीय/अंर्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शैक्षणिक/शोध संस्थाओं में प्रवेश हेतु 'मुख्यमंत्री राजस्थान मेधावी छात्र योजना' लागू की जायेगी।
- प्रदेश में चयनित स्थानों पर ''द्रोणाचार्य आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना'' की जाएगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- ए–क्लास आयुष चिकित्सालयों में लैब टैक्निशियन लगाये जाएंगे।
- ऐलोपैथी के अलावा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का मेडिसिन बोर्ड अलग से बनाया जाएगा।
- सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा हेतु ''राजस्थान मुख्यमंत्री धन्वंतरी योजना'' प्रारम्भ की जायेगी।
- प्रमुख चिकित्सालयों में Hospital Administrator का नवीन पद सृजित किया जाएगा।
- प्रदेश में संचालित निःशुल्क जांच योजना की समीक्षा कर इसमें गुणात्मक सुधार किया जाएगा।
- ''जननी सुरक्षा योजना'' की समीक्षा कर इसे एक समग्र योजना बनाकर लागू किया जायेगा।

अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों का कल्याण

- सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग की रिक्तियों के बैकलॉग का निर्धारण कर समयबद्ध तरीके से पदों को भरा जाएगा।
- अनुसूचित जाति व जनजाति के बी.पी.एल. परिवारों की बालिकाओं के विवाह हेतु सहायता राशि उपलब्ध करवायी जाएगी।
- The Rajasthan Forest (Amendment Bill 2012) में इस क्षेत्र के काश्तकारों/ग्रामीणों के हितों के विपरीत लाए गए प्रावधानों को पुनः संशोधित किया जाएगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं पाक विस्थापित

- नाई समाज के लिए केश कला बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

वन संरक्षण एवं पर्यावरण

- वन औषधि के लिए वन भूमि का पट्टा दिया जाएगा।
- वन क्षेत्र एवं पर्यावरण के बचाव हेतु पर्यावरण Club की स्थापना की जाएगी।

अल्पसंख्यक कल्याण

- परम्परागत लघु उघोगों को चिन्हित कर अल्पसंख्यक महिलाओं को व्यवसाय करने हेतु अलग से रियासती दर पर ऋण दिये जाएंगे।
- मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाएगा तथा इन्हे Vocational Education से जोड़ने हेतु Pilot योजना शुरू की जाएगी, जिससे रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्राप्त हो सके।

श्रम कल्याण

- असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए मजदूर कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- विश्वकर्मा/स्वाबलंबन पेंशन योजना में सरकार 1000 के स्थान पर 1500 रू. का वार्षिक अंशदान देगी।
- युवा कामगारों के लिये प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जाएगी तथा आगामी पांच वर्षो में इसके माध्यम से पन्द्रह लाख कुशल युवा कारीगर तैयार किए जाएंगे।

व्यापार, उद्योग तथा खनिज

- राज्य में नई औद्योगिक निवेश नीति तैयार की जाएगी।
- हाथकरघा/हस्तशिल्प निदेशालय की स्थापना की जाएगी।
- कच्चा तेल तथा प्राकृतिक गैस से मिलने वाले राजस्व अंश को संबंधित जिलों के विकास पर खर्च करने हेतु ''मरूस्थल विकास बोर्ड' की स्थापना की जाएगी।
- ग्रामीण औद्योगिक विकास हेतु ''मुख्यमंत्री राजस्थान ग्रामीण औद्योगिकीकरण योजना'' बनाई जाएगी।

आर्थिक एवं बजट

- टीएसपी और एससीएसपी योजनाओं में जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर बजट सुनिश्चित कर उनके खातों (सब–हेड) में स्थानान्तरण सुनिश्चित कराया जायेगा।
- जेंडर बजटिंग को अनिवार्यता से लागू किया जायेगा तथा इस हेतु विशेष प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- बजट की पारदर्शिता को जनसामान्य तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- प्रदेश के वार्षिक बजट को तैयार करने की प्रक्रिया में नागरिकों तथा विभिन्न संगठनों की भागीदारी करने हेतु On-Line Copmuter Application तैयार किया जाएगा।

सहकारिता

- प्रदेश में सहकारी संस्थाओं को और अधिक स्वायत्तता देने एवं सशक्त करने हेतु नीति निर्धारित की जाएगी तथा एक सहकारिता विकास कोष का गठन किया जाएगा।
- सहकारिता आयोग के गठन पर विचार किया जाएगा।

स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास

- एक लाख की जनसंख्या वाले शहरों में नगर सुधार न्यास का गठन किया जाएगा।
- नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए अधोसंरचना बोर्ड की स्थापना हेतु प्रयास किये जाएंगे।

सुशासन

- आम आदमी के सरकारी विभागों से संबंधित अभाव अभियोगों के त्वरित निराकरण के लिए एक जन शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाएगा।
- इस घोषणा पत्र में वर्णित घोाषणाओं/निति के साथ –साथ बजट घोाषणाओं तथा मुख्यमंत्री की घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

- वर्तमान में खाद्य सुरक्षा कानून तथा प्रदेश में सस्ते दर पर वितरित किए जा रहे गेहूं से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।
- खाद्य सुरक्षा कानून को राजस्थान की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप सुधारात्मक रूप से लागू किया जाएगा।

बजट समाचार आपका अपना अखबार है। बजट समाचार में प्रकाशित हर सामग्री पर आप अपनी राय से हमें अवगत करा सकते हैं। भविष्य में बजट समाचार को आप किस रूप में देखना चाहते हैं तथा किन मुद्दों और विषयों पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है, इन तमाम पहलुओं पर हमारा ध्यान दिला सकते हैं। बजट समाचार के लिए आपकी ओर से भेजे गए हर सुझाव का हम स्वागत करते हैं। बजट समाचार पर आपकी प्रतिक्रिया, सुझावों तथा टिप्पणियों का स्वागत है।

– बार्क टीम

संपादक – **नेसार अहमद**

संपादक मण्डल – **महेन्द्र सिंह राव**
भूपेन्द्र कौशिक
बरखा माथुर

सहयोग – **अंकुश वर्मा**

सलाहकार – **डॉ. जिनी श्रीवास्तव**

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धित विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन/फैक्स : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org

बुक पोस्ट

सेवा में,

श्रीमान/श्रीमती.....

.....

.....

..... पिन कोड.....